B.A. Part 2
Paper प्रथम

10/10/20

कर विभाजन (Tax devolution)

केन्द्र और राज्यों के बीच कर-विभाजन के बारे में बुनियादि जानकारी ऊपर दी जा चुकी है। यहाँ पर केवल कुछ नोट करने योग्य अतिरिक्त तथ्यों का वर्णन किया गया है —

- केन्द्रीय वित्त आयोग केन्द्र द्वारा लगाए जाने वाले किसी कर को लगाने, हटाने अथवा इसमें संशोधन के बारे में सिफारिश नहीं कर सकता। इसकी सिफारिशें, ~~संवैधिक~~ संवैधानिक सीमाओं और अपनी विचारणीय सामग्री (terms of reference) को ध्यान में रखते हुए, केवल कर-प्राप्तियों के केन्द्र और राज्यों में आबंटन तक सीमित रहती हैं।

- यदि किसी कर की निवल प्राप्तियाँ केन्द्र और राज्यों में विभाज्य हों तो आयोग की सिफारिशों के दो भाग होते हैं, अर्थात् विभाज्य पूँजी (divisible pool) में राज्यों के संयुक्त भाग का निर्धारण, तथा उस संयुक्त भाग में राज्यों के व्यक्तिगत भागों का निर्धारण।

- यदि किसी कर की समस्त निवल प्राप्तियाँ राज्यों को देय हों तो आयोग इनमें राज्यों के केवल वैयक्तिक भागों की सिफारिश करता है।

- कई दशकों तक केन्द्र वित्त आयोगों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली का लाभ उठाते हुए विविध प्रकार के संघ उत्पादक शुल्क (union excise duties) उन नामों ~~को~~ से आरोपित रहा है जिनका वर्णन स्पष्ट रूप से आयोगों द्वारा नहीं किया गया था। केन्द्र द्वारा इस प्रकार के आरोपित रहा है जिनका वर्णन स्पष्ट रूप से आयोगों द्वारा नहीं किया गया था। केन्द्र द्वारा इस प्रकार के आरोपित शुल्क वित्त आयोगों की सिफारिशों में वर्णित न होने के कारण राज्यों के साथ विभाज्य नहीं होते थे।

Scanned by CamScanner

- कई दशकों तक राज्यों और आलोचक केन्द्र से राज्यों को साधन - अंतरण की प्रणाली पर असंतोष प्रकट करते रहे हैं। केन्द्र द्वारा राज्यों की ओर से कर - भाड़े के अंतर्गत करारोपण और वसूली पर भी असंतुष्टि बनी रही है। 80वें संवैधानिक संशोधन से पहले केन्द्र तीन मदों (चीनी, कपड़ा और निर्मित तम्बाकू सहित तम्बाकू) पर राज्यों द्वारा बिक्री कर के स्थान पर 'अतिरिक्त उत्पादन शुल्क' लगा रहा था। राज्यों को शिकायत थी कि केन्द्र इन कर स्रोतों का इष्टतम दोहन नहीं कर रहा था। परंतु फिर भी केन्द्र इस कर - भाड़े की व्यवस्था में अन्य मदों को लाने तथा इन शुल्कों को बुनियादि उत्पादन शुल्कों में विलय के असफल प्रयत्न करता रहा।
- कई आलोचकों के मतानुसार केन्द्र केवल उन करों के इष्टतम दोहन में रुचि दर्शाता था जिनमें इसका अपना वित्तीय स्वार्थ होता था।

- परंतु फिर भी राज्य सरकारें केन्द्र के विभाज्य करों की उत्फुल्लता से लाभान्वित होती रहीं। साथ ही उनके अपने कर राजस्व में बिक्री कर (जिसका स्थान अब मूल्यवर्धन कर ले रहा है) और उत्पादन शुल्कों ने भी वृद्धि दर्शाई है।
- संविधान के 80वें और 88वें संशोधनों के अंतर्गत कर - विभाजन की व्यवस्था में एक बुनियादि परिवर्तन आया है। अब सेवा कर के विभाजन को छोड़कर राज्यों की अन्य सभी शिकायतें लगभग दूर हो गई हैं।

- ध्यानयोग्य है कि दसवें वित्त आयोग ने यह 'सुझाव' दिया था कि कर - विभाजन प्रणाली की सभी त्रुटियों को दूर ~~करने~~ करने के लिए केन्द्र के समस्त कर - राजस्व का एक पूर्वनिश्चित अनुपात राज्यों को अंतरणीय होना चाहिए, और इस अनुपात के संशोधन पर 15 वर्षों से पहले विचार नहीं किया जाना चाहिए। परंतु इस सुझाव को अपनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी। ~~वह~~ यह संशोधन जून, 2000 से ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की कालावधि (2000 - 05) के साथ लागू हुआ। साथ ही यह भी तय किया गया कि केन्द्रीय करों की विभाज्य पूँजी में राज्यों के अनुपात पर प्रत्येक वित्त आयोग विचार करेगा।

Scanned by CamScanner